

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 802/139/आउशि/शा-5'अ'/2023

भोपाल, दिनांक 27/06/2023

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
2. सचिव,
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
भोपाल, म.प्र.।
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

संदर्भ-मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 327/46/सीसी/2023/अड़तीस, भोपाल दिनांक 17.05.2023

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धान्त, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी की गई है।


2. अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2023-24 के अनुसार स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर कक्षाओं एवं स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष (वार्षिक पद्धति) कक्षाओं में शिक्षण कार्य 01 जुलाई 2023 से आरंभ किये जाने के हेतु निर्देशित किया गया है।

3. अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित करते हेतु सत्र 2023-24 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में दिनांक 30 जून, 2023 तक प्रवेशित विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य 01 जुलाई, 2023 से आरंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में दिनांक 30 जून, 2023 के पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए समय-सीमा में कोर्स पूर्ण हो सकें इस हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल
निरन्तर...2,


//2//

पृ.क्रमांक 803/139/आउशि/शा-5'अ'/2023

भोपाल दिनांक 27 /06/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, अंपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र. की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल